

अंचल कार्यालय सरैयाहाट

विविध वाद सं० 4 / 2020

श्री दिनेश कापरी
बनाम्

बमशंकर राउत एवं अन्य

जिला - दुमका

केस का प्रकार - मौजा कुरमापघार अनावादी खाता संख्या 42 दाग न० 751 पर आम बागवानी लगाने के संबंध में।

क्र०सं० दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं मन्तव्य	की गई कार्रवाई
31.7.2020	<p>आवेदक श्री दिनेश कापरी पिता विष्णु कापरी ग्राम कुरमाहाट थाना हंसडीहा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा कुरमापघार अनावादी खाता संख्या 42 दाग न० 751 जिसका कुल रक्वा 5.8.10 धुर जमीन किस्म परती कदीम बोल कर खतियान में दर्ज है। उक्त दाग न० में से 02 बीघा जमीन का प्रधानी पट्टा प्राप्त है तथा न्यायालय, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के R.M. Case N0 475/2000-01 द्वारा सम्पुष्टि किया गया है लेकिन द्वितीय पक्ष के बम शंकर राउत पिता शालीग्राम राउत, राजकिशोर मॉड़ी पिता जागेश्वर मॉड़ी और प्रीतम कुमार राउत पिता अर्जुन राउत के द्वारा आम बागवानी लगाने में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है इसलिए जांच कर कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p>आवेदन में उल्लेखित तथ्य का जांच राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से कराई गई। जांच प्रतिवेदन प्राप्त। देखा।</p> <p>अतः पक्षकार को मूल राजस्व कागजात प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत करें। एवं स्थल पर विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना प्रभारी हंसडीहा को निदेशित करें। अभिलेख दिनांक 5-8-2020 को रखें।</p> <p>लेखापित एवं शंसोधित अंचल अधिकारी सरैयाहाट</p>	<p align="right">31.7.2020 अंचल अधिकारी सरैयाहाट</p>
5.8.2020	<p>अभिलेख उपलब्ध होने पर पक्ष उपलब्ध सुनवाई किया गया द्वितीय पक्ष के विवादि मुक्ति का अपना हवा संबंध कोर्टी राजस्व कागजात नहीं दिखाय। थाना हंसडीहा को विधि व्यवस्था हेतु फा निर्गत करे। इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p align="right">5.8.2020 अंचल अधिकारी सरैयाहाट</p>	<p align="right">5.8.2020 अंचल अधिकारी सरैयाहाट</p>